भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2184
जिसका उत्तर गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

उम्मीदवार के शपथपत्रों का सत्यापन

2184 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समिति की इस टिप्पणी पर ध्यान दिया है कि उम्मीदवारों के शपथपत्रों के सत्यापन हेतु एक तंत्र बनाने के संबंध में सरकार और चुनाव आयोग दोनों की प्रतिक्रियाएँ अस्पष्ट थीं ;

(ख) क्या सरकार एक पारदर्शी शपथपत्र सत्यापन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी और वास्तविक समय डेटा जाँच का उपयोग करते हुए उन अनुशंसाओं पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव रखती है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस विषय पर चुनाव आयोग या अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श किया गया है ; और (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सत्यापन तंत्र कब तक लागू किया जाएगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : अभ्यर्थियों के शपथपत्र के सत्यापन की प्रक्रिया से संबंधित मामला वर्तमान में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष लोकहित वाद (पीआईएल) सं. 29990/2021 में निर्णयाधीन है ।

(ग) और (घ) : (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।
